



गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय

ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश

जी.बी.यू.-012/डी.एस.ए./032/027/2024-039

दिनांक:- 25-05-2024

::कार्यालय आदेशः

सक्षम स्तर से दिनांक 20.05.2024 को प्राप्त अनुमोदन के अनुपालन में विश्वविद्यालय के छात्रावासों के खाली कमरों में ठहरने हेतु सभी प्रकार के सरकारी/अर्द्धसरकारी/व्यक्तिगत उपयोग एवं अन्य आयोजनों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति-दिन का किराया व शर्तें निम्नवत निर्धारित किया जाता है:-

1. प्रति-दिन प्रति व्यक्ति कमरे की दर रु. 150+18% GST कुल रु. 177/- (एक सौ सतहत्तर मात्र) निर्धारित की गयी है।
2. फर्नीचर, गद्दे, रजाई, पलंग, तख्त आदि के लिए पृथक से वास्तविकता के आधार पर भुगतान किया जाना होगा अथवा स्वयं की व्यवस्था की जानी होगी।
3. पीने का स्वच्छ पानी एवं गर्म पानी की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।
4. अतिथियों के कमरे में मात्र पंखा, लाईट की सुविधा उपलब्ध होगी तथा किसी अन्य विद्युत उपकरण को चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
5. यह दरें सभी प्रकार की श्रेणियों (सरकारी/अर्द्धसरकारी/व्यक्तिगत) के लिये लागू रहेगा।
6. कमरों की उपलब्धता के अनुसार एक ही कमरे में एक या अधिक व्यक्तियों को ठहराया जा सकता है।

उक्त आदेश आगामी शैक्षणिक सत्र 2024-25 से प्रभावी होगा तथा अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगा।

(डॉ० विश्वास त्रिपाठी)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

- माननीय कुलपति महोदय, के स्टाफ को महोदय के संज्ञान में लाने हेतु।
- शैक्षणिक अधिष्ठाता को सूचनार्थ।
- समस्त संकाय अधिष्ठाता/प्रभारी अधिष्ठाताओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- प्रभारी, छात्र कल्याण महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- वित्त अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- अध्यक्ष प्रवेश एवं परीक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- मुख्य छात्रावास अभिरक्षक पुरुष एवं महिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- प्रभारी निदेशक कार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सिस्टम मैनेजर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर अधिकारी/कर्मचारियों को ई-मेल एवं विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के आशय से प्रेषित।
- सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

कुलसचिव